विचार बिन्दु

यह मेरा है-यह तेरा है ऐसा संकीर्ण हृदय वाले मानते हैं। उदार चित्त वाले तो सारे संसार को एक कुटुंब समझते हैं। –हितोपदेश

शासन से आमजन का हमेशा असंतोष क्यों रहता हैं?

भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में सत्ता और जनता के संबंध जटिल, संवेदनशील और कई बार टकरावपूर्ण हो जाते हैं। 'राज से नाराज़गी' कोई नई भावना नहीं है, लेकिन आज के दौर में यह और अधिक मुखर और व्यापक हो गई है। सोशल मीडिया, बढ़ती राजनीतिक चेतना और नागरिक अधिकारों के प्रति जागरूकता ने इस असंतोष को स्वर भी दिया है और बल भी। जब राज जनप्रतिनिधियों की सरकार ही चलाती है, तब लोग 'राज' से हमेशा असन्तुष्ट क्यों रहते हैं? यह बहुत स्पष्ट है कि जनता की शासन से अपेक्षा और यथार्थ के बीच बड़ी खाई है जो कम नहीं हो पा रही है। वह गहरी होकर निरंतर बनी हुई है। स्वतंत्रता के बाद से अब तक देश में अनेक सरकारें आईं और गईं, योजनाएं बनीं, वादे किए गए, लेकिन आमजन के जीवन में परिवर्तन की रफ्तार उतनी नहीं रही जितनी नेता लोग बढ़-चढ़ कर दावे करते रहे। बुनियादी सुविधाएं, जैसे स्वच्छ जल, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और रोजगार आज भी सबके आक्रोश का कारण बनी हुई है। जब जीवन की मूलभूत ज़रूरतें भी सरकारी नीतियों से पूरी नहीं हो पातीं, तो आम जन का असन्तुष्ट रहना स्वाभाविक ही है। इसीलिए 'राज' से हमेश नाराजगी बनी रहती है। संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था में कहने को तो राज जनप्रतिनिधियों के हाथ में होता है मगर संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार राज चलाने वाली मशीनरी –कार्यपालिका – होती है। कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है इसलिए निर्वाचित शासन के प्रति निष्ठावान होती है। कार्यपालिका का 'स्टील फ्रेम' ढांचा हमें अंग्रेजों से विरासत में मिला। इस ढांचे की अपनी कुलीनता थी, जो लोकतान्त्रिक शासन में भी बनी रही। आजादी के नये दौर में इस बड़े देश को चलाने के लिये इस सोच के साथ वह स्टील फ्रेम ढांचा अपनाए रखा कि इस तंत्र के लोग गणतांत्रिक भारत में आम जन के प्रति उत्तरदायी होंगे। नौकरशाही को सेवा सुरक्षा का अधिकार इसीलिये मिला कि कार्यपालिका बिना किसी बाहरी दबाव के विधिसम्मत तरीके से काम करेगी। विधायिका के लिये निर्वाचित प्रतिनिधियों के भोलेपन का फायदा उठाना कार्यपालिका के लोगों ने शीघ्र ही सीख लिया। निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को प्रशासनिक कौशल नहीं होने से कार्यपालिका का वर्चस्व बढ़ता गया। यह यदि सर्वजन हिताय होता तो कोई समस्या नहीं होती। कार्यपालिका के भ्रष्ट लोगों ने सबसे शासन में आने वाले निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को बड़ी खूबी से बोतल में उतार कर गलत राह की तरफ धकेला। कार्यपालिका का काम कानून के राज की रक्षा करना था। वह सरकार में बैठे लोगों के हितों की होकर रह गई। इस प्रकार राजनेताओं तथा प्रशासनिक अफसरों का गठबंधन स्वरूप लेने लगा जो जनहित के लिये नहीं, व्यक्तिगत हितों का था। पिछले 75 वर्षों में हिमालय से ना जाने कितनी बर्फ पिघल गई। कार्यपालिका में कभी उंगलियों में गिने जा सक्ने वाले भ्रष्ट अधिकारी होते थे आज उंगलियों पर गिने जा सकने वाले ईमानदार खोजने पड़ सकते हैं। राजस्थान में ही क्यों देश भर में शीर्ष अफसरों तथा मंत्रियों की भ्रष्टाचार के पुराने मामलों में गिरफ़्तारी और सजाएं अब आम हैं। साथ ही कार्यपालिका के लोग भी अपने रिश्तों से राजनीति की रह पकड़ विधायिका में स्थान बनाने के उस्ताद हो गये।

सत्ता का दुरुपयोग और राज को केवल शासक वर्ग तक सीमित रखने की प्रवृत्ति, जनभागीदारी की भावना को कमजोर करती है। जब नागरिक महसूस करते हैं कि उनकी आवाज़ अनसुनी हो रही है, तब जनता में असंतोष उपजाता है। ब्रिटिश राज के दौरान सत्ता का अनुभव भारतीयों के लिए एक शोषणकारी व्यवस्था का पर्याय बना रहा। स्वतंत्र भारत में गणतंत्र की नींव रखने वाले भारतीय संविधान ने सबको समानता की व्यवस्था दी किन्तु सामंती व्यवस्था की जगह लोकतंत्र आ जाने से जिस बदलाव की अपेक्षा थी वह पूरी करने में भारतीय राजनीति असफल रही। असल में सामंती अवशेषों की इबारत को पूरी तरह पोंछ डालने में हम नाकामयाब रहे। नया लोकतान्त्रिक नेतृत्व भी सामंती व्यवहार को छोड़ नहीं सका। इसके अलावा संविधान के एक स्तम्भ कार्यपालिका जो पहले साम्राज्यवादी शासन जो सामंती रंग में रंग गया था की सेवा के लिए था वाह आमजन की सेवा वाला नहीं बन सका। जब सत्ता का केंद्रीकरण बढ़ा और विकास का लाभ सब तक समान रूप से नहीं पहुंचा, तब 'राज' के प्रति अविश्वास की भावना का प्रबल होना स्वाभाविक ही था। इसके अतिरिक्त, आज के दौर में राजनीति का चरित्र परिणामकारी कम और प्रचारवादी अधिक हो गया है। चुनावी वादों की चमक और कार्यान्वयन की धीमी गति भी जनता की निराशा को जन्म देती है। 'नेता बोलते बहुत हैं, करते कम हैं' – यह धारणा आम जनमानस में गहराई से पैठ चुकी है।

भारत में आम जनता की सरकार से अपेक्षाएं बहुत अधिक भी नहीं हैं। किसी ने यह मांग नहीं की कि सरकारी स्कूलें तथा अस्पताल पांच सितारा जैसे हों। सिर्फ मूलभूत गुणवत्तापूर्ण सुव्यवस्था की मांग ही होती है। युवकों को उनकी पढ़ाई लिखाई और कौशल के हिसाब से काम मिल जाए, वह भी ऐसी सरल मांग ही है।

लोकतंत्र में आलोचना और असंतोष नकारात्मक नहीं, बल्कि सुधार का मार्गदर्शक हो सकते हैं। अगर सरकारें जनता की नाराजगी को विरोध न मानकर संवाद का अवसर मानें, तो नीतियों में बदलाव, पारदर्शिता और जनहित की भावना को बढ़ावा मिल सकता है। संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था में सत्ता का मतलब राज करना नहीं होता, सेवा होता है। राज तभी सार्थक है जब वह जन की सेवा के लिए हो। जनता की नाराज़गी कोई समस्या नहीं, बल्कि एक चेतावनी होती है – कि अब समय आ गया है कि 'राज' और 'जन' के बीच की दूरी कम की जाए। गणतांत्रिक संविधान ने सबके लिए समानता और न्याय की व्यवस्था दे रखी है और राज्य की संप्रभुता यहां के नागरिकों के हाथ में है। अब कोई राजा और कोई प्रजा नहीं है। सभी बराबरी के नागरिक है जिनके वोट से सरकारें बनती और गिरती है। नागरिकों के प्रतिनिधि संसद और विधान सभाओं में बैठ कर कानून बनाते हैं। निर्वाचित सरकार तथा कार्यपालिका नागरिकों के प्रतिनिधियों के प्रति जवाबदेह होती है। संविधान के दोनों पाये विधायिका और कार्यपालिका विधि सम्मत काम करते रहें और उसमें कोई संशय हो तो फैसला करने के लिए न्यायपालिका का दोनों से स्वतंत्र तीसरे पाये की संविधान ने व्यवस्था दे रखी है। यह संविधान दुनिया भर के लोकतान्त्रिक देशों के संविधानों की अच्छी चीजें ले कर बनाया गया गया है जिसमें एक बेहतरीन लोकतान्त्रिक राज्य की व्यवस्था है। लेकिन अचरज होता है कि संविधान लागू होने के 75 वर्ष बाद भी यहां के नागरिक – हम भारत के लोगों में – अपने ही राज से असंतोष रहता है। आमजन जो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के ढांचे से बाहर है वह इस लिए बेचैन है कि उसे वे मूलभूत सुविधाएं भी ठीक से नहीं मिल रही है जिसके लिए संविधान निर्माताओं ने इतनी मशक्कत की थी। आम नागरिक का सारा असंतोष इस बात का है कि विधायिका और कार्यपालिका अपना दायित्व पूरी तरह नहीं निभा पा रहीं हैं। आम आदमी की उचित सुनवाई नहीं होती। लोगों को आज के अधिकांश राजनेता अहंकारी और अज्ञानी नज़र आते हैं। जनता के असंतोष को इसी पृष्टभूमि में देखा जा सकता है। न्यायपालिका को लेकर भी लोगों में इसीलिए बेचैनी है कि वहां कब सुनवाई होगी और कब फैसला सुनाया जाएगा इसका कुछ पता नहीं है। निचली अदालतों में जितनी भीड़ हमें दिखती है और जितना मुकदमों का अंबार है उससे वहां नागरिक को सिर्फ तारीखें मिलती हैं।

लोगों का राज से असंतोष का अध्ययन इसलिए बहुत दिलचस्प है क्योंकि वह राजनीति, समाज और नागरिकों की अपेक्षाओं से गहराई से जुड़ा हुआ है। राज से असंतोष का कारण केवल किसी एक घटना या सरकार से नहीं होता, बल्कि यह ऐतिहासिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं का मिश्रण होता है। भारत में आम जनता की सरकार से अपेक्षाएं बहुत अधिक भी नहीं हैं। किसी ने यह मांग नहीं की कि सरकारी स्कूलें तथा अस्पताल पांच सितारा जैसे हों। सिर्फ मूलभूत गुणवत्तापूर्ण सुव्यवस्था की मांग ही होती है। युवकों को उनकी पढ़ाई लिखाई और कौशल के हिसाब से काम मिल जाए, वह भी ऐसी सरल मांग ही है। राजनीतिक दलों और सरकारी तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार, पक्षपात और जवाबदेही की कमी लोगों में एक गहरा अविश्वास पैदा करती है। लोग मानते हैं कि 'राज' यानि सरकार या सत्ता आम आदमी के लिए नहीं, बल्कि खास लोगों के लिए काम करता है। औपनिवेशिक काल में अंग्रेज और रियासती सत्ता शोषण का प्रतीक थी। इस कारण 'राज' शब्द से जुड़ा हुआ एक संदेह और विरोध का भाव लोगों के मन में बैठा रहता है। भारतीय जनता अब पहले से ज्यादा जागरूक है। सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनलों की वजह से लोग हर छोटी-बड़ी नीति या निर्णय पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। यह सक्रियता सरकार के हर कदम की आलोचना को बढ़ावा देती है।लोकतंत्र में नागरिकों का असंतोष जताना एक सामान्य और ज़रूरी प्रक्रिया है। सरकार पर सवाल उठाना, उसकी आलोचना करना – यह किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है। यह जरूरी भी है, ताकि सत्ता में बैठे लोग जनता के प्रति जवाबदेह बने रहें। बहुत से लोगों को लगता है कि सत्ता और आम जनता के बीच दूरी बनी हुई है। नीतियां बनाई जाती हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर उनका लाभ नहीं पहुंचता, या पहुंचने में बहुत देरी होती है। भारत में लोग 'राज' से असन्तुष्ट रहते हैं क्योंकि वे बेहतर जीवन, ईमानदार प्रशासन और समान अवसरों की अपेक्षा करते हैं। यह नाराजगी कभी-कभी क्रोध का रूप भी ले लेती है। लेकिन कई बार यह बदलाव की प्रेरणा भी बनती है। यदि सरकारें इस असंतोष को सही ढंग से समझें और उसे सुधार का माध्यम बनाये, तो यही असंतोष भविष्य का सुधार बन सकता है।

–अतिथि संपादक,
राजेन्द्र बोड़ा
(वरिष्ठ पत्रकार एवं विश्लेषक)

विरासत में मिली कमियों से समाधान की ओर बढ़ती राजस्थान की स्कूली शिक्षा

ओमवती पारीक

राजस्थान की सरकारी स्कूली शिक्षा व्यवस्था में लंबे समय से पाठ्यक्रम, परीक्षा और परिणामों की चुनौती रही है। जर्जर भवन, अपर्याप्त कक्षा-कक्ष, शौचालयों की कमी, प्रयोगशालाओं का अभाव और बदलते समय के अनुरूप डिजिटल संसाधनों की सीमित उपलब्धता जैसी बुनियादी समस्याएं भी शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करती रही है। ऐसे में किसी भी सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती योजनाएं शुरू करने के साथ ही वर्षों से जमा इन कमियों का स्थायी समाधान करना है। राजस्थान सरकार ने अब इसी दिशा में एक दीर्घकालिक रोडमैप के साथ कदम बढ़ाये हैं।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विशेष निर्देशों पर सरकारी विद्यालयों के कायाकल्प के लिए करीब 12,500 करोड़ रुपए का तीन वर्षीय रोडमैप तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य सरकारी विद्यालयों को सुरक्षित, सुविधायुक्त, आधुनिक, समावेशी और तकनीक-सक्षम शिक्षण केंद्रों में विकसित करना है। इस पहल की विशेषता यह है कि इसमें समस्या की पहचान से लेकर उसके चरणबद्ध समाधान तक की प्रक्रिया को एक साथ जोड़ा गया है। वर्तमान राज्य सरकार ने कार्यभार संभालने के बाद जर्जर भवनों में चल रहे विद्यालयों के लिए समुचित भवन प्रबंधन के लिए कार्य प्रारंभ किया। इस वर्ष के प्रारंभ में मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रदेश के सभी 41 जिलों में जिला कलेक्टरों के माध्यम से राजकीय विद्यालय भवनों का व्यापक तकनीकी सर्वे कराया गया। इसका उद्देश्य विद्यालयों की वास्तविक स्थिति के आकलन के आधार पर प्राथमिकताएं तय करना था। वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2028-29 तक के लिए तैयार रोडमैप इसी तकनीकी सर्वे से सामने आई जरूरतों पर आधारित है।

इस व्यापक रोडमैप के तहत 3,587 नए विद्यालय भवनों पर करीब 2,488 करोड़ रुपए, 83,783 नए कक्षा-कक्षों पर करीब 8,378 करोड़ रुपए, 22,589 विद्यालयों में मेजर रिपेयर पर करीब 1,129 करोड़ रुपए तथा 13,616 नए शौचालय परिसरों पर करीब 340 करोड़ रुपए के कार्य प्रस्तावित हैं। यानी सरकार का जोर नये भवन बनाने के साथ विद्यालय के पूरे भौतिक वातावरण को बेहतर बनाने पर है। महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि दीर्घकालिक योजना के साथ तत्काल क्रियान्वयन भी प्रारंभ कर दिया गया है।

करीब 3,006 करोड़ रुपए के विद्यालय विकास कार्य स्वीकृत, निविदा अथवा क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। इनमें 518 नए विद्यालय भवनों के लिए करीब 620 करोड़ रुपए के कार्य स्वीकृत या निविदा प्रक्रिया में हैं और 181 भवनों पर निर्माण शुरू हो चुका है। साथ ही 2,906 नए कक्षा-कक्षों के लिए करीब 300 करोड़ रुपए के कार्य भी स्वीकृत हैं। शिक्षा सुधार का दूसरा बड़ा आयाम डिजिटल शिक्षा है। आज के दौर में केवल भवन और फर्नीचर से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कल्पना नहीं की जा सकती। सरकारी स्कूल के विद्यार्थी भी उसी डिजिटल दुनिया का हिस्सा हैं, जिसमें निजी विद्यालयों के विद्यार्थी हैं। इस अंतर को कम करने के लिए दिसंबर 2026 तक करीब 1,087 करोड़ रुपए खर्च कर 9,000 स्मार्ट क्लास, 7,000 आईसीटी लैब और 80,000 टैबलेट उपलब्ध कराने की योजना है। इनमें करीब 107 करोड़ रुपए स्मार्ट क्लास, 880 करोड़ रुपए आईसीटी लैब और 100 करोड़ रुपए टैबलेट पर खर्च किए जाने हैं। इस पहल के तहत तकनीकी उपकरण बांटने के अतिरिक्त इसका उपयुक्त उपयोग कर इसकी वास्तविक सफलता के लिए स्मार्ट क्लास और आईसीटी लैब का कक्षा में प्रभावी ढ़ंग से उपयोग पर भी बल दिया जा रहा है। शिक्षकों को भी डिजिटल संसाधनों का प्रभावी उपयोग करने, विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता को प्रोत्साहित करने और ग्रामीण तथा दूरदराज के विद्यालयों में इसकी पहुंच पर ध्यान दिया जा रहा है।

वर्तमान राज्य सरकार दो वर्षों के कार्यकाल में वर्ष 2024-25 और 2025-26 में समग्र शिक्षा एवं राज्य मद के अंतर्गत 1,220 करोड़ रुपए की लागत से 3,364 महत्वपूर्ण निर्माण एवं मरम्मत कार्य स्वीकृत किए गए। इनमें 614 नए विद्यालय भवन और 2,750 विद्यालयों में मेजर रिपेयर शामिल हैं। इसके अतिरिक्त 2,256 विषय प्रयोगशाला कक्षों के लिए 508 करोड़ रुपए तथा विशेष योग्यजन विद्यार्थियों के लिए सुलभ सुविधाओं पर 40 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पांच बालिका सैनिक स्कूल, 13 डाइट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और 79 छात्रावास भवनों पर भी काम किया जा रहा है।

बालिकाओं की सुरक्षा, स्वच्छता और गरिमा को भी इस अभियान में अलग महत्व दिया गया है। 2,326 सरकारी विद्यालयों में बालिका शौचालयों की स्थापना के प्रस्ताव पंचायती राज विभाग को भेजे गए हैं। साथ ही बजट 2026-27 के तहत राजकीय विद्यालयों में मरम्मत कार्यों के लिए 300 करोड़ रुपए की सैद्धांतिक सहमति प्राप्त की गई है। यह कदम इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि विद्यालय में छात्राओं की उपस्थिति और निरंतरता के लिए सुरक्षित तथा सम्मानजनक वातावरण बुनियादी आवश्यकता है।

एक उल्लेखनीय पहल यह भी है कि विद्यालय विकास को केवल शिक्षा विभाग के बजट तक सीमित नहीं रखा गया है। विधायकों के 5 करोड़ रुपए के वार्षिक विधायक कोष में से 20 प्रतिशत राशि राजकीय विद्यालयों के बुनियादी ढांचे पर खर्च करने का निर्णय लिया गया है। इसी प्रकार डांग, मगरा और मेवाड़ योजनाओं में विद्यालय मरम्मत के लिए बजट हिस्सेदारी 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत की गई है। ग्रामीण राजस्थान में शिक्षा को व्यापक सामाजिक विकास से जोड़ने के लिए पांच हजार ग्राम पंचायतों में 750 करोड़ रुपए की लागत से अटल ज्ञान केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। प्रत्येक केंद्र के लिए 15 लाख रुपए का प्रावधान है। इसी क्रम में वीबीजी रामजी योजना के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर चरणबद्ध तरीके से स्टेडियम निर्माण की भी योजना है, जिसके लिए प्रतिवर्ष 500 से 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान बताया गया है। इससे शिक्षा को खेल, ज्ञान और सामुदायिक विकास के साथ जोड़ने की व्यापक सोच सामने आती है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में जुलाई 2026 तक 179 विद्यालय भवन निर्माण कार्यों पर 183 करोड़ रुपए तथा 7,945 अतिरिक्त कक्षा-कक्षों के निर्माण पर 757 करोड़ रुपए खर्च किए गये हैं। इसी अवधि में करीब 14 लाख साइकिलों का वितरण किया गया है। छात्राओं के लिए 'आपकी बेटी', 'बालिका प्रोत्साहन', 'गार्गी पुरस्कार' और अन्य योजनाओं में भी लाभार्थियों को सहायता दी गई है। शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ शिक्षक हैं। इसलिए केवल भवन निर्माण से शिक्षा का कायाकल्प संभव नहीं है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में प्रारंभिक शिक्षा विभाग में लेवल-1 और लेवल-2 को मिलाकर 9,206 नई नियुक्तियां/भर्तियां तथा माध्यमिक शिक्षा विभाग में 39,259 नई नियुक्तियां/भर्तियां की गई हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग में 66,047 पदोन्नितयां भी हुई हैं।

शिक्षा जैसी विशाल व्यवस्था में बुनियादी ढांचे की कमी को दूर करना अपने आप में एक बड़ा काम है। उपलब्ध तुलनात्मक विवरण में दिसंबर 2018 से नवंबर 2023 तक 314 विद्यालय भवन निर्माण कार्यों के मुकाबले दिसंबर 2023 से जुलाई 2026 तक 620 स्वीकृत विद्यालय भवन निर्माण कार्य किये गये हैं। इसी तरह मरम्मत कार्यों की संख्या 2,769 से बढ़कर 3,210 किया गया है। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि वर्तमान सरकार ने विद्यालय के आधारभूत ढाँचे को अपने एजेंडे में प्रमुखता दी है।

राजस्थान जैसे विशाल और भौगोलिक रूप से विविध राज्य में शिक्षा का कायाकल्प एक दिन या एक बजट से संभव नहीं है। इसके लिए निरंतरता, निगरानी और परिणाम आधारित मूल्यांकन जरूरी है। सरकार का तीन वर्षीय 12,500 करोड़ रुपए का रोडमैप इसी दीर्घकालिक सोच का संकेत देता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों के अनुरूप तकनीकी सर्वे, वित्तीय प्रावधान, निर्माण, डिजिटल शिक्षा, शिक्षक उपलब्धता और छात्र हित की योजनाओं को एकीकृत ढंग से आगे बढ़ाने से सरकारी विद्यालयों की तस्वीर बदलने की संभावनाएं मजबूत हो रही है।

आखिरकार शिक्षा का असली कायाकल्प तब माना जाएगा, जब अभिभावक को यह भरोसा हो कि सरकारी विद्यालय में उसके बच्चे को सुरक्षित भवन, पर्याप्त कक्षा-कक्ष, स्वच्छ शौचालय, प्रयोगशाला, डिजिटल संसाधन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षक-सब एक साथ मिल रहे हैं। राज्य सरकार तैयार किये गये रोडमैप को जमीन पर तेजी और गुणवत्ता के साथ उतारने के लिये संकल्पबद्ध है। योजनाबद्ध निवेश के प्रभावी क्रियान्वयन और नियमित निगरानी से ही वर्षों से विरासत में मिली कमियों को दूर कर विद्यालयों की तस्वीर बदलती दिखाई देंगी। यही राजस्थान की स्कूली शिक्षा के भविष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन होगा।

–ओमवती पारीक,
संयुक्त निदेशक एवं प्राचार्य
टीटी कॉलेज (सेनि.)।

महिला मातृत्व अवकाश : अधिकार कितना, जिम्मेदारी कितनी?

रोटेरियन सुनील दत्त गोयल

मातृत्व किसी भी महिला के जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण चरण है। बच्चे को जन्म देना केवल एक जैविक प्रक्रिया नहीं, बल्कि शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से चुनौतीपूर्ण अनुभव भी है। इसलिए गर्भावस्था और प्रसव के दौरान महिला को पर्याप्त चिकित्सा सुविधा, आराम और मातृत्व अवकाश मिलना एक संवेदनशील और सभ्य समाज की जिम्मेदारी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या मातृत्व अवकाश के अधिकार के साथ जिम्मेदारी का प्रश्न समाप्त हो जाता है? क्या किसी महत्वपूर्ण सरकारी, प्रशासनिक, राजनीतिक या निजी पद पर बैठा व्यक्ति लंबे समय तक अनुपस्थित रहते हुए अपनी जिम्मेदारियों से पूरी तरह मुक्त हो सकता है? और यदि उसकी अनुपस्थिति से जनता, संस्था, कंपनी या प्रशासन प्रभावित होता है तो उस प्रभाव की जिम्मेदारी किसकी होगी? यही वह प्रश्न है जिस पर आज गंभीर और निष्पक्ष बहस की आवश्यकता है।

हाल ही में जापान के क्योटो प्रांत के यवाता शहर की 35 वर्षीय मेयर शोको कवाटा के मातृत्व अवकाश की योजना ने जापान में राष्ट्रीय बहस को जन्म दिया। कवाटा 2023 में 33 वर्ष की उम्र में जापान की सबसे कम उम्र की महिला मेयर बनी थीं। उन्होंने घोषणा की कि वह सितंबर में बच्चे को जन्म देने वाली हैं और कुल 16 सप्ताह का मातृत्व अवकाश लेंगी, जिसमें प्रसव से पहले आठ सप्ताह और प्रसव के बाद आठ सप्ताह शामिल हैं। उनकी अनुपस्थिति के दौरान उपमहापौर कार्यवाहक मेयर की जिम्मेदारी संभालेंगे।

इस मामले की खास बात यह है कि यवाता में सामान्य कर्मचारियों के लिए मातृत्व अवकाश की व्यवस्था पहले से थी, लेकिन मेयर के पद के लिए ऐसी स्पष्ट व्यवस्था नहीं थी। इसलिए कवाटा को अपने पद के लिए इस व्यवस्था को तैयार करवाना पड़ा। उनकी घोषणा के बाद जापान में यह बहस शुरू हुई कि क्या सार्वजनिक पदों पर बैठी महिलाओं को भी मातृत्व और परिवार के लिए पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए। दूसरी ओर कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि लंबे समय तक अनुपस्थित रहने पर सार्वजनिक पद की जिम्मेदारियों और वेतन का क्या होगा। लेकिन इस पूरे मामले को केवल महिला अधिकार बनाम पुरुष मानसिकता के रूप में देखना उचित नहीं होगा। असली सवाल इससे कहीं बड़ा है: लोकतंत्र में सार्वजनिक पद अधिकार है या जिम्मेदारी?

जनता किसी व्यक्ति को केवल सम्मान देने के लिए पद पर नहीं बिठाती। वह उसे इसलिए चुनती है कि वह जनता की समस्याओं का समाधान करेगा, प्रशासन को दिशा देगा और सार्वजनिक हित में निर्णय लेगा। इसलिए निर्वाचित पद के साथ अधिकारों के अलावा जनता के प्रति दायित्व भी जुड़ा होता है। यह बात महिलाओं और पुरुषों दोनों पर समान रूप से लागू होनी चाहिए। यदि किसी महिला को पहले से पता है कि उसे गर्भावस्था और प्रसव के कारण लंबे समय तक अवकाश लेना पड़ेगा, तो अपनी अनुपस्थिति में काम की निरंतरता सुनिश्चित करने की तैयारी करना भी उसकी पेशेवर जिम्मेदारी होनी चाहिए। इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि महिला को मातृत्व का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। इसका अर्थ केवल इतना है कि अधिकार के साथ व्यवस्था और जिम्मेदारी भी सुनिश्चित होनी चाहिए।

भारत में तो मातृत्व लाभ की व्यवस्था और भी स्पष्ट है। मौजूदा कानूनी प्रावधानों के अनुसार पात्र महिला कर्मचारियों को अधिकतम 26 सप्ताह का मातृत्व लाभ मिल सकता है, जिसमें अधिकतम आठ सप्ताह प्रसव की संभावित तिथि से पहले लिए जा सकते हैं। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि काम की प्रकृति के अनुसार आपसी सहमति से मातृत्व अवकाश के बाद कुछ अवधि के लिए घर से काम की व्यवस्था भी की जा सकती है। इसलिए यह कहना गलत होगा कि मातृत्व अवकाश कोई विशेष कृपा है। यह कानूनी और सामाजिक अधिकार है। लेकिन इसी के साथ यह सवाल भी पूछा जाना चाहिए कि इतने लंबे अवकाश के दौरान किसी महत्वपूर्ण पद का काम कैसे चलेगा?

मेरा मानना है कि इसका उत्तर मातृत्व अवकाश को कम करना या समाप्त करना नहीं है। समाधान है कार्यभार हस्तांतरण की अनिवार्य और पारदर्शी व्यवस्था। यदि कोई महिला मंत्री, मेयर, वरिष्ठ अधिकारी, विभागाध्यक्ष या निजी संस्था की महत्वपूर्ण पदाधिकारी है और उसे लंबे समय तक अवकाश लेना है तो उसे समय रहते यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी अनुपस्थिति में जिम्मेदारी कौन संभालेगा। संबंधित विभाग को कार्यों की सूची, लंबित मामलों, महत्वपूर्ण निर्णयों और आवश्यक संपर्कों की जानकारी दी जा सकती है। एक सक्षम व्यक्ति को अस्थायी जिम्मेदारी दी जा सकती है। इससे महिला को भी बिना तनाव के मातृत्व का समय मिलेगा और जनता या संस्था का काम भी प्रभावित नहीं होगा। लेकिन यह व्यवस्था केवल महिलाओं के लिए क्यों हो?

यदि कोई पुरुष अधिकारी बीमारी, व्यक्तिगत कारण या किसी अन्य वजह से लंबे समय के लिए अनुपस्थित होता है तो उसके लिए भी यही नियम होना चाहिए। किसी भी महत्वपूर्ण पद की व्यवस्था व्यक्ति-निर्भर नहीं होनी चाहिए। व्यक्ति अनुपस्थित हो सकता है, लेकिन संस्था अनुपस्थित नहीं हो सकती। यही बात हमें अपने प्रशासनिक ढांचे में समझनी होगी। दुर्भाग्य से हमारे समाज में अधिकारों की चर्चा बहुत होती है, लेकिन कर्तव्यों की चर्चा उतनी नहीं होती। हम अपने अधिकारों को लेकर सजग हैं, लेकिन कई बार यह भूल जाते हैं कि प्रत्येक अधिकार के साथ किसी न किसी रूप में जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है।

महिलाओं को केवल इसलिए महत्वपूर्ण पद से वंचित कर देना कि भविष्य में वह मां बन सकती है, अन्याय होगा। इसलिए जापान की मेयर कवाटा का मामला केवल मातृत्व अवकाश का मामला नहीं है। यह इस बड़े प्रश्न से भी जुड़ा है कि महिलाओं को सार्वजनिक जीवन और नेतृत्व में आगे कैसे लाया जाए। लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है। महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का अर्थ यह नहीं हो सकता कि सार्वजनिक जिम्मेदारियों की गंभीरता कम कर दी जाए। बल्कि इसके विपरीत, व्यवस्था को इतना मजबूत बनाना होगा कि किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण जनता का काम बाधित न हो। यही सिद्धांत निजी क्षेत्र में भी लागू होना चाहिए। कर्मचारी को वेतन इसलिए मिलता है क्योंकि वह काम के बदले पारिश्रमिक प्राप्त करता है। मातृत्व अवकाश उस कर्मचारी का कानूनी अधिकार है, लेकिन संस्था की कार्य निरंतरता भी नियोक्ता की जिम्मेदारी है। दोनों पक्षों को एक-दूसरे के अधिकार और जिम्मेदारी का सम्मान करना होगा। इसलिए असली बहस यह नहीं होनी चाहिए कि महिला को मातृत्व अवकाश मिले या नहीं।

सही सवाल यह होना चाहिए कि महिला को आवश्यक मातृत्व अवकाश मिले और उसकी अनुपस्थिति में जनता, संस्था या सरकार का काम बिना बाधा कैसे चलता रहे। जापान का यवाता मॉडल इस दिशा में एक महत्वपूर्ण उदाहरण देता है। मेयर को मातृत्व का अधिकार मिलता है और उनकी अनुपस्थिति में उपमहापौर प्रशासन संभालते हैं। भारत को भी इसी तरह की स्पष्ट व्यवस्था पर विचार करना चाहिए। महत्वपूर्ण पदों पर बैठे लोगों के लंबे अवकाश के लिए कार्यभार हस्तांतरण, वैकल्पिक जिम्मेदारी, निर्णय लेने की सीमा और जवाबदेही की स्पष्ट व्यवस्था होनी चाहिए। इससे न महिला के अधिकारों पर सवाल उठेगा और न जनता के अधिकार प्रभावित होंगे।

इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय की हालिया टिप्पणी भी विचारणीय है। मार्च 2026 में महिलाओं के लिए अनिवार्य मासिक धर्म अवकाश की मांग पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने चिंता जताई कि यदि ऐसी छुट्टी को कानूनन अनिवार्य कर दिया गया तो इसका उलटा असर महिलाओं के रोजगार पर पड़ सकता है और नियोक्ता महिलाओं को नौकरी देने से ही हिचक सकते हैं। अदालत का आशय महिलाओं के अधिकारों का विरोध करना नहीं था, बल्कि यह चेतावनी देना था कि किसी भी कल्याणकारी प्रावधान के अनपेक्षित परिणामों पर भी विचार होना चाहिए। अदालत ने स्वैच्छिक रूप से ऐसी सुविधाएं देने को सकारात्मक माना, लेकिन अनिवार्यता को लेकर रोजगार और करियर पर पड़ने वाले प्रभाव की ओर ध्यान दिलाया। यही बात मातृत्व अवकाश की बहस में भी महत्वपूर्ण है। महिला को मातृत्व का अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन ऐसी व्यवस्था भी बननी चाहिए जिसमें महिला के अधिकार सुरक्षित रहते हुए नियोक्ता, संस्था और जनता पर उसका प्रतिकूल प्रभाव न्यूनतम हो।

अंततः हमें अधिकार और जिम्मेदारी को एक-दूसरे का विरोधी बनाना बंद करना होगा। मातृत्व का सम्मान होना चाहिए, महिलाओं को समान अवसर मिलना चाहिए और किसी महिला को मां बनने की कीमत अपने करियर से नहीं चुकानी चाहिए। लेकिन जिस पद को जनता या नियोक्ता ने विश्वास के साथ सौंपा है, वह पद भी किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं है। वह जनता की अमानत है। मातृत्व का अधिकार भी सुरक्षित रहना चाहिए और जनता का अधिकार भी। महिला को अवकाश भी मिलना चाहिए और व्यवस्था भी चलती रहनी चाहिए। यही अधिकार और कर्तव्य का संतुलन एक परिपक्व लोकतंत्र की पहचान है।

–रोटेरियन सुनील दत्त गोयल,
महानिदेशक, इम्पीरियल
चैंबर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री।

राशिफल

पंडित अनिल शर्मा

बुधवार 26 अगस्त, 2026

सावन मास, शुक्ल पक्ष, त्रयोदशी तिथि, बुधवार, विक्रम संवत 2083, श्रावण नक्षत्र रात्रि 12:48 तक, सौभाग्य योग प्रात: 7:54 तक, तैतिल करण प्रात: 8:00 तक, चन्द्रमा आज मकर राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-सिंह, चन्द्रमा-मकर, मंगल-मिथुन, बुध-सिंह, गुरू-कर्क, शुक्र-कन्या, शनि-मीन राहु-कुम्भ, केतु-सिंह

आज रवियोग रात्रि 12:48 तक है। आज आखेटक त्रयोदशी और शिव पवित्रारोहण, ईद-ए-मिलाद (बारावफात), ओणम (केरल) है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: लाभ-अमृत सूर्योदय से 9:18 तक, शुभ 10:53 से 12:29 तक, चर 3:40 से 5:15 तक, लाभ 5:15 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 12:00 से 1:30 तक। सूर्योदय 6:07, सूर्यास्त 6:50

मेष

व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। आवश्यक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।

वृष

नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। चलते कार्यों में उचित सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मिथुन

चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखना ठीक रहेगा। वाणी पर नियंत्रण/संयम रखना ठीक रहेगा। आज स्वभाव की तेजी पर नियंत्रण रखना ठीक रहेगा।

कर्क

परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। आज आपसी सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है।

सिंह

स्वास्थ्य संबंधित चिन्ता दूर होगी। अनहोनी की आशंका से बना हुआ मन का भय समाप्त होगा। अस्त-व्यस्त कार्य व्यवस्थित होने लगेंगे। धार्मिक कार्यों पर धन खर्च हो सकता है।

कन्या

व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। नौकरीपेशा व्यक्तियों को अतिरिक्त कार्य करना पड़ सकता है। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। परिवार में सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी।

तुला

घर-परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे और नवीन कार्य योजना का क्रियान्वयन हो सकता है। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

वृश्चिक

व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

धनु

घर-परिवार में अतिथियों के आगमन से दिनचर्या अस्त-व्यस्त हो सकती है। खान-पान के कारण स्वास्थ्य खराब हो सकता है। परिवार में वाद-विवाद हो सकते हैं।

मकर

मानसिक तनाव दूर होगा। मन: स्थिति में सुधार होगा। मनोबल-आत्मविश्वास बढ़ेगा। महत्वपूर्ण कार्य योजनानुसार बनने लगेंगे। आज व्यावसायिक कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे।

कुंभ

घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि होगी। अनर्गल कार्यों में समय खराब होगा। मन में असंतोष बना रहेगा। स्वास्थ्य संबंधित मामलों में लापरवाही ठीक नहीं रहेगी।

मीन

आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। आज व्यावसायिक कार्यों के संबंध में उचित सोच-विचार हो सकता है।